N.E.Railway
पूर्वोत्तर रेलवे

महाप्रब
पूर्वोत्तर
General Manager(C)
N. E. Railway, Gorakhpur

पत्र सं0 सी/442/टीसी/सतर्कता/2022 /111

दिनॉक– 24.08.2023

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे,
इज्जतनगर ।

विषयः– पद्वति सुधार लागू करने के संबंध में ।
सन्दर्भः–उपमुताधि/यातायात का पत्र सं0 डीएआर/इज्जतनगर/2023/04/01377/जॉच/220 दिनॉक– 27.07.2023

उपमुसताधि/यातायात , पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ने अपने संन्दर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया है कि इज्जतनगर मण्डल में कई टीटीई/लॉबी (बरेली सिटी/स्लीपर, काशीपुर, टनकपुर , कानपुर अवनरगंज एवं मथुरा) के प्रभारी चल टिकट निरीक्षकों द्वारा लॉबी के ईएफटी के स्टाक होल्डर रहने के साथ साथ गाड़ियों में टिकट चेकिंग एवं बिना टिकट यात्रियों को ईएफटी जारी करने का भी कार्य किया जा रहा है । जबकि वाणिज्य परिपत्र सं0 41/2009 दि0 04.09.2009 के मद सं0 6 ,इस प्रकार का कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। नियमानुसार स्टाक होल्डर टिकट जॉच कर्मचारी को टिकट चेकिंग का कार्य करने या ईएफटी जारी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य मे समस्त मुख्य चल टिकट निरीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें ताकि इस प्रकार की अतियमितता की रोकथाम की जा सके तथा यदि कोई चटिप. पुनः ऐसी कार्यवृत्ति करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही भी किया जाय ।

कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करावें ।

संलग्नक/यथोपरि

(धीरेन्द्र कुमार)
उपमुवाप्र/एफएम.
कृते महाप्रबन्धक/वाणिज्य

प्रतिलिपि :–
1- उपमुसताधि/यातायात को उनके सन्दर्भित पत्र के आलोक मे सूचनार्थ प्रेषित।
2- वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक/पूर्वोत्तर रेलवे/ लखनऊ एवं वाराणसी को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कृते महाप्रबन्धक/वाणिज्य

सतर्कता कार्यालय
प्राप्ती तिथि 25/08/23